

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। निम्न अनुसार

श्रीमानजी पार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र आधार कई परिवार रश्मि कई के मध्य उभाण पत्र के आधार पर पार्थी की माता का नाम गोविन्द कंवर के स्थान पर गोविन्द कंवर पालि नारायण सिंह किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी

दिनांक :-

क्रमांक : राजरव/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है, उचित है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अभियान की जाती है / उचित की जाती है।

उपरोक्त किता जाना उचित है।

23/11/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी

1535  
23/11/2021

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)  
:- आदेश :-

दिनांक :- 23/11/21

पार्थी के "खाता दुरुस्ती" पार्थी-ना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नालिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	पौख	2075-70	<del>29</del> 477	गोविन्द कंवर पालि नारायण सिंह	गोविन्द कंवर पालि नारायण सिंह

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 23/11/21

क्रमांक :- राजरव/2020/ 1219-1220

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी को वास्तु पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी